भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3115

11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी

3115. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को संचालित करने के लिए किसी तकनीकी अधिष्ठान, प्रमाणीकरण संरचना या डाटा एकीकरण प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रणालियों के विकास या परीक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इसकी राष्ट्रव्यापी शुरुआत से पहले प्रायोगिक योजना के कार्यान्वयन या चरणबद्ध शुरूआत की परिकल्पना की गई है और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रायोगिक योजनाओं के लिए संभावित समय सीमा, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (घ): एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की एक प्रौद्योगिकी-संचालित पहल है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) को सक्षम बनाती है। यह प्रणाली पात्र लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और अन्य गतिशील आबादी को, ई-पीओएस उपकरणों का उपयोग करके आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से देश भर में किसी भी उचित दर दुकान (एफपीएस) से अपने पात्र खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह प्रणाली सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राशन कार्ड डेटाबेस को एकीकृत करती है और उचित दर दुकानों पर स्थापित अंतरसंचालनीय ई-पीओएस उपकरणों के माध्यम से निर्बाध सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) को सुगम बनाती है।

ओएनओआरसी का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया गया, जिसकी शुरुआत अगस्त 2019 में अंतर-राज्यीय सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) लेनदेन के पायलट प्रोजेक्ट से हुई, जिसके बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धीरे-धीरे इसमें शामिल किया गया। वर्तमान में, ओएनओआरसी को सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है, जिससे लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों (एनएफएसए की कुल आबादी का 100%) को लाभ मिल रहा है। तदनुसार, ओएनओआरसी सुविधा अब देश भर के सभी पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों के लिए स्वतः उपलब्ध है।

*****